राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा निर्वाचन सदन प्लाट नं. 2 सैक्टर 17,पंचकूला

कमांक : एस.ई.सी./1 एम.ई/2017///99-1220

दिनांकः 2.06.2017

सेवा में

सभी उपायुक्त, हरियाणा ।

िविषयः–

अधिसूचना सं4/4/2017 -आर -|| दिनांक 14.3.2017 और सं4/4/2017 -आर -|| दिनांक 22.05.2017- हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 तथा हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 में संशोधन बारे ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब तक अपनाई हुई प्रक्रिया अनुसार नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की निर्वाचक मतदाता सूची, भारत चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर तैयार की जाती हैं । इस प्रकार से तैयार की गई नगरनिकाय संस्थाओं की प्रारूप मतदाता सूची को दावे और आपित्तियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया जाता था। दावें और आपित्तियां दायर करते समय उन नये मतदाताओं के दावों को भी नगरनिकायों की मतदाता सूची में सिम्मिलित करने हेतू प्राप्त किया जाता था, जिनके नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होते थे, और जांच उपरांत ऐसे नामों को भी नगरनिकाय की मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता था।

- 2. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं4/4/2017 -आर -II दिनांक 14.3. 2017 और सं4/4/2017 -आर -II दिनांक 22.05.2017 (प्रतिया संलग्न) अनुसार नगरिनगम निर्वाचन नियम, 1994 तथा हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 में संशोधन उपरांत नगर निकायों की मतदाता सूची में नए नाम शामिल करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यानि अब नगर निकाय पूर्व की भांति अपनी अलग मतदाता सूचित तैयार नहीं करेंगे ।
- 3. आपके यह भी ध्यान में लाया जाता है कि नियमों में उपरोक्त संशोधन के उपरान्त अब केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नामों को वार्ड अनुसार विभाजित किया जाएगा । किसी भी व्यक्ति का नाम नगर निकायों की मतदाता सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज न हो गया हो ।

- 4. नियमों में उपरोक्त संशोधन उपरान्त फार्म-क में वही व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, जिसका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल है और किसी कारण से नगर निकाय की मतदाता सूची में शामिल होने से रह गया है । इसके अतिरिक्त फार्म-ख में उसी नाम के विरुद्ध आपित दर्ज की जा सकती है यदि किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल है और उसका निवास स्थान नगर निकाय की सीमा से बाहर है अथवा उक्त व्यक्ति का नाम किसी कारण गलत वार्ड में शामिल हो गया है ।
- 5. अतः मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप स्वयं एंव अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 तथा हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 में किये गए संशोधनों से अच्छी तरह से परिचित हो लेवें, ताकि भविष्य में इन संशोधित नियमों की सखती से पालना की जा सके।

भवदीय,

Cumia /

(परमाल सिंह)

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

पृ०कमांक : एस.ई.सी./1 एम.ई/२०१७/ |११ - ११२५

दिनांकः | 2.06.2017

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को अधिसूचना सं. 4/4/2017 -आर -ll दिनांक 14.3.2017 और सं. 4/4/2017 -आर -ll दिनांक 22.05.2017 के सदर्भ में सूचनार्थ एवं अगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित हैं:-

- 1. प्रधानसचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
- 2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
- 3. सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला।
- 4. महानिदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क तथा सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा

(uzana (zie)

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

आंतरिक वितरणः

- 1. स्टोर -कीपर
- 2. लाईब्रेरियन (रिकार्ड हेतू दो प्रतियां)



Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 46-2017/Ext.]

CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 14, 2017 (PHALGUNA 23, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2017

संख्या 4/4/2017—आर—II. — हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - "3. पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति— उपायुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी को वार्ड से सम्बन्धित मतदाता सूची के दावे और आपत्तियां सुनने के प्रयोजन के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा तथा वार्ड या वार्डों जिनके लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी रहेगा, विनिर्दिष्ट कर सकता है।"।
- 3. उक्त नियमों में, नियम-4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "4. वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करना :— (1) उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का केन्द्रीय अधिनियम (43) के उपबन्धों के अधीन विधानसभा क्षेत्र या उसके भाग के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल निर्वाचक, जो नगर निमम के किसी वार्ड के अधीन पड़ते है, किसी नाम में संशोधन, किसी नाम का विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन मतदाताओं को विभाजित करेगा।
 - (2) उपरोक्त उप—िनयम (1) के अनुसार वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तिथि तक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन मतदाता सूची हिसाब में ली जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को इस प्रकार वार्ड वार वितरित की गई मतदाता सूची निगम के उस वार्ड के लिए मतदाता सूची होगी, जो हिन्दी और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में तथा ऐसे रूप में जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश करे, तैयार की जाएगी।
 - (3) ज्योंही नगर निगम की वार्ड वार मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो उपायुक्त, तिथि जिस समय तक वार्ड वार मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपित्तियां या दावे उसमें विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं, को सूचित करते हुए नोटिस सिहत प्रारूप के रूप में प्रकाशित करवाएगा। नोटिस सिहत निगम के

प्रत्येक वार्ड की वार्ड वार मतदाता सूची की प्रति उपायुक्त के कार्यालय में, नगर निगम के कार्यालय तथा ऐसे अन्य सहज–दृश्य स्थान (स्थानों) पर चिपकाएगा, जैसा उपायुक्त अवधारित करेः

परन्तु, दावें या आपत्तियां दायर करने के लिए कम से कम पांच दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी।

(4) निर्वाचकों को वार्ड वार विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक दावा तथा आपत्ति विहित प्ररूप क तथा ख (i) में पुनरीक्षण प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी या उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा

परन्तु प्ररूप क में दावे उन आवदकों द्वारा दायर किये जाएंगे जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने, अपनी प्रविष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम बदलवाने के इच्छुक हो। प्ररूप ख में आपत्तियां उन आवेदकों द्वारा दायर की जाएगी, जो मतदाता सूची में सम्मिलित नामों के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक हों :

परन्तु यह और कि केवल वे ही व्यक्ति नगर निगम की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिये अपना दावा दायर करेंगे, जिनके नाम विधानसभा की सम्बन्धित मतदाता सूची में हैं, किन्तु इस नियम के उप-नियम 3 के अधीन प्रकाशित मतदाताओं की प्रारूप सूची में नहीं है।

- पुनरीक्षण प्राधिकारी प्ररूप-1क में दावों का रजिस्टर तथा प्ररूप-1ख में आपत्तियों का रजिस्टर बनाएगा और जब कभी प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा तथा आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे उसमें दर्ज
- कोई दावा या आपत्ति जो खण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के भीतर दायर नहीं की जाती है या (iii) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है जो उसे दायर करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृत
- यदि कोई दावा या आपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है, जो उसे (iv) प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा पुनरीक्षण प्राधिकारी तुरन्त उसी समय सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उसी व्यक्ति को वापिस लौटाएगा।
- जहां किसी दावा या आपत्ति का निपटान खण्ड (iii) या (iv) के अधीन नहीं किया जाता है तथा दावों (v) और आपित्तियों को प्रस्तुत करने की विहित अविध समाप्त हो गई है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी प्राप्त हुये सभी दावों और आपित्तियों की सूची तुरन्त अपने कार्यालय में चस्पा करेगा तथा ऐसे दावों और आपित्तियां की सुनवाई की तिथि तथा स्थान का उल्लेख नोटिस में करेगा। आपित्ति की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जायेगी, जिसने यह दिये हैं।
- यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी को इस निमित्त दिये गये आवेदन पत्र पर या स्व-प्ररेणा पर, वह सन्तुष्ट हो (vi) जाता है की प्रारूप मतदाता सूची विधानसभा मतदाता सूची के सम्बन्धित भाग से भिन्न हैं, तो उक्त मतदाता सूची के समरूप उसे संशोधित करने के प्रयोजन के लिये उस मतदाता सूची में संशोधन कर सकता है, कोई प्रविष्टि लोप कर सकता है या जोड़ सकता है।
- खण्ड (v) के अधीन नियत तिथि और जगह पर पुनरीक्षण प्राधिकारी दावे या आपत्तियां सुनेगा और सम्बन्धित पक्षों या उसके प्राधिकृत एजैंटों को सुनने के बाद उनकी गुणता के अनुसार दावों और आपित्तियों का निर्णयं करेगा तथा कोई व्यक्ति दावें की दशा में, जो ऐसे दावें को स्वीकार करने के लिए ऐतराज करता है और ऐसे साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाए या उसको आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के बाद और प्रस्तुत किए गए सबूत को ध्यान में रख कर और यदि जरूरी समझे, तो:-
 - कोई दावा या आपत्ति, जो इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का पालन नहीं करती, अस्वीकार कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे;
 - कोई मामला जिसमें दावेदार या आपत्तिकर्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, खारिज कर
- (viii) पुनरीक्षण प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति हो, आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर उपायुक्त को अपील दायर कर सकता है, जो तीन दिन के भीतर या तो ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या अपास्त करेगा या दावे या आपित्ति के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- पुनरीक्षण प्राधिकारी ज्यों ही उसके सम्मुख प्रस्तुत किये गये सभी दावे तथा आपत्तियों का निपटान करता है, तो वह उन पर किये गये आदेशों सहित, ऐसे दावों और आपत्तियों की सूची, उपायुक्त को भेजेगा, जो खण्ड (viii) के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा या उस द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित आदेशों के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची ठीक करवाऐगा। इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी तथा उसकी दो प्रतिया पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा उपायुक्त द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जायेगी और कथित आदेशों के अनुसार तैयार परिवर्धन तथा संशोधन की सूची सहित

उप—नियम (3) के अधीन विहित रीति में प्रकाशित की जायेगी। खण्ड (ix) के अधीन परिवर्धित तथा प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची ऐसे अन्तिम प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।"।

- 4. उक्त नियमों में, नियम 5 से 11 का लोप कर दिया जाएगा।
- 5. उक्त नियमों में, नियम 12 में ;--
 - (i) उप नियम (3) में, ''नियम 4 से 11 तक'' शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, ''नियम 4'' शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ii) उप नियम (4) में, "नियम 7 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और ;
 - (iii) उप नियम (5) में, "नियम (7)" और "नियम 11" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठक के स्थान पर, क्रमशः "नियम 4(3)" और "नियम 4 (4) (ix)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 6. उक्त नियमों में, नियम 13 का लोप कर दिया जाएगा ।
- 7. उक्त नियमों में, नियम—14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "14 अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में नामों का शामिल, विलोपन और सुधार.— कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने/विलोपन/संशोधन हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकता है:

परन्तु, नगर निगम के मतदाताओं की वार्ड वार सूची में किसी नाम को जोड़ने/विलोपन या _संशोधन तभी किया जाएगा यदि दावेदार/आवेदक का नाम नगर निगम के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधानसभा की निर्वाचक सूची के सम्बन्धित भाग में विद्यमान है।"।

- 8. उक्त नियमों में, नियम 15 तथा 16 का लोप कर दिया जाएगा।
- 9. उक्त नियमों में, नियम 17 में, उप-नियम (1) मे,-
 - (i) खण्ड (ग) में, "नियम 9" शब्द तथा अंक के स्थान पर, "नियम 4(4)(i)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (ii) खण्ड (घ) में, "नियम—10" शब्द, अंक तथा चिह्न के स्थान पर, "नियम 4 (4) (vii) तथा (viii)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (iii) खण्ड (छ) का लोप कर दिया जाएगा।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप क और ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"प्ररूप-क

[देखिए नियम 4 (4) (i)]

मतदाता सूची में नाम शामिल करने/	किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे व	।।डॉं में नाम रखने के लिए आवेदन
प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि	, कि उक्त नगर निगम के लिए मतदाता सूची में मे की जाए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाए ।	
मतदाता सूची में सा अन्यत्र रखने के मेरे दावे के	म्मिलित किए जाने के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।	की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
में शामिल किया जा सकता है।	न क्षेत्रके क्रम संख्या. नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल नहीं कि	या गया है जो अब वार्ड नंo
म शामल किया गया ह आर मर किया जाये।	न क्षेत्रके क्रम संख् ग नाम नगर निगम की मतदाता सूची के वार्ड संर	व्या में शामिल
इस आधार पर कि		
4. कि मेरा नाम वार्ड नं0	की बजाय वार्ड नं0	में प्रविष्टि किया जाये।
5. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की <u>मत</u>	दाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे	
रूप में यथा वर्णित है और इसे	तु नगर निगम की मतदाता सूची मेंके रूप में	के सही करने के लिए अनरोध है।

6. घोषणाः		
में इसके द्वारा घोषणा करता ह सही है।	हूँ कि ऊपर उल्लेखित तथ्य और विवरण	मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार
स्थानः		
दिनांक:	द	विदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	3	गवेदन का पूरा पता
	회가 환경하다는 사람이 나다.	\
0 10 0 11		ोबाईल नं0
विश्वास हे या जिसके सत्य (1994 का 16) की धारा 8ग	होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ह	जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या रियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 की धारा
* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।		[레일이고양 전 남부나는 시기 및
	की गई कार्रवाई के ब्योरे	
(नगर निगम के पुनरी	क्षिण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी स्थि	ति हो, द्वारा भरा जाना है)
श्री / श्रीमती / कुमारी	के मतदाता सूची में न	ाम सम्मिलित किए जाने, प्रविष्टि विशिष्टियों
की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्य	त्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन	न को *स्वीकार कर लिया गया है/*नामंजूर
जर दिया गया है।		
स्वीकार करने या नामंजूर करने (हरि	याणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 वे	नियम 4 के अधीन या उसके अनुसरण में}
के लिए विस्तृत कारणः		
स्थानः		
तारीखः		
	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)
अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।		
त्र स्तरीय अधिकारी अर्थात मतदान केन	द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी;	पर्यवेष्टी अधिकारी की निपाणी
	ने आवेदन पाप्त किया और इन्ट्रान रक्तिन	, पता र की क्रम संख्यामें
विष्टि किया गया है।	אוטן אויאן ואיאו טול פיאוטן לוטולכ	र पर्या अरम सख्याम
	य	
ं वार्य के लिंच है। इसरे लिंच लिंग सम	Ч	

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

0	
दन	do:-

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना (प्रार्थी के लिये)

श्री / श्रीमती / कुमारी, जो नगर	निगम
का निवासी है, से प्ररूप क में आवेदन प्राप्त हुआ।	
आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान बजे की जायेर्ग	में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक ो। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक
दस्तावेजों / जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते है।	
दिनाक:	पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन
	प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
	(पता
)

प्ररूप-ख

[देखिए नियम 4 (4)(i)]

मतदाता सूची में नाम की	ो प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हर	टाये जाने हेतु आवेदन
प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मे	त लेए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित ब रे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये र ते/*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविषि	जा रहे हैं:
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
 क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह नग कि श्री/श्रीमित/कुमारी जगह वार्ड नं0 धोषणाः मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उ 	की क्रम संख्या ए निगम की हद में नही है। का नाम वार्ड नंत	पर अंकित है, लेकिन यह
है । स्थानः दिनाकः	ু বা অ অ	वेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान विदन का पूरा पता बाईल नंo

टिप्पण.— कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हिरयाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा।

^{*} अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

(की गई कार्रवाई के ब्यौरे नगर निगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जा	ਜਾ ਵੈ\
	के नाम को *सम्मिलत किए जाने पर	
*स्वीकार कर लिया गया है /*नामं		१/ *हटाए जान हतु ।दया गया आवद
स्वीकार करने या नामंत्रर क	रने {हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 ((1004 का 16) के निगम 4 के शानि ग
उसके अनुसरण में} के लिए विस्तृत		(1994 पर) 10) पर गिपन ४ पर अवारा प
The second transfer of the second		
स्थानः		
तारीखः		
	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के	पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान	
*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।		
क्षेत्र स्तरीय अधिकारी (अर्थात मतदान	केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्य	केमी अधिकारी) की टिपाणी
प्ररूप ख न आ/आनता/ प्	हुमारीरे आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर	की कम संख्या
में प्रविष्टि किया गया है।		77 (104)
सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा	समय	
		हस्ताक्षर तथा पदनाम
	(कार्यालय के लिए पावती)	
दावे तथा	आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त	कर ली है।
दिनाक:	टावेटा	के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	પામવા	. पर हरताबार या जनूठ पर्रा गिसान
<u>गार्शना</u>	पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धि	
инык	(प्रार्थी के लिये)	त सूयना
	, जो नगर निग	म
का निवासी है, से प्ररूप ख		
	ग प्राधिकारी द्वारा स्थान	
	बजे की जायेगी।	उसे सुनवाई के लिये आवश्यक
दस्तावेजों / जानकारी के साथ उपस्थि	त हान के लिए निदेश दिए जाते हैं।	
दिनाक:		-100mm -1100-1-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
(ψ·) (Ψ). —		नरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन एत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
		ाना परना पाल आवकारा क हस्ताक्षर

उक्त नियमों में, प्ररूप 1क तथा 1ख में, "[देखिए नियम 9 (5)]" कोष्ट्रकों, शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "[देखिए नियम 4 (4)(ii)]" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जांएगे।

उक्त नियमों में, प्ररूप-ग तथा घ का लोप कर दिया जाएगा।

11.

37.

आनन्द एम. शरण, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 14th March, 2017

No. 4/4/2017-R-II .— In exercise of the powers conferred by Sub-section(1) of Section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely:-

- These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2017. 1.
- In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), for the existing 2. rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "3. Appointment of Revising Authorities. The Deputy Commissioner shall appoint any Gazetted Officer to be a Revising Authority for the purpose of hearing claims and objections relating to ward wise electoral roll and may specify the ward or wards for which he shall be the Revising Authority."
- In the said rules, for existing rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-3.
 - "4. Preparation of ward wise roll.- (1) The Deputy Commissioner under the superintendence, direction and control of the State Election Commission, shall cause to distribute the electors of Legislative Assembly constituency or a part thereof of the existing electoral roll prepared by Election Commission of India under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (Central Act 43 of 1950), for the time being in force, which falls in the relevant ward of the Corporation, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name by the Election Commission of India.
 - The electoral roll updated by the Election Commission of India up to the date of notification issued by (2)the State Election Commission for the preparation of ward wise roll as per sub rule (1) above, shall be taken into account. The electors of Legislative Assembly constituency, so distributed ward wise shall be the electoral roll for that ward of the Corporation which shall be prepared in Hindi and in such other language or languages and in such form, as the State Election Commission may direct.
 - As soon as the ward wise roll of a Municipal Corporation is ready, the Deputy Commissioner shall publish it as draft together with a notice intimating the date by which objections or claims with regard to the ward wise roll may be presented to the Revising Authority specified therein. A copy of the ward wise roll of each ward of Corporation alongwith the notice shall be pasted at the office of the Deputy Commissioner, at the office of the Municipal Corporation and at such other conspicuous place(s) as the Deputy Commissioner may determine:

Provided that a period of not less than five days shall be allowed for filing claims and objections.

Every claim and objection regarding distribution of electors ward wise shall be addressed and (4) presented to the Revising Authority in the prescribed Form A and B or may be sent by registered post to him.

Provided that claims in Form-A shall be filed by those applicants, who intend to include their name, make correction in their entry or transposing of their name in another ward in the electoral roll. Objections in Form-B may be filed by those applicants who intend to object inclusion of name or seek deletion of a name from the electoral roll.

Provided further that only those persons shall file their claim for inclusion of their name in the electoral roll of Municipal Corporation, whose name appear in the respective electoral roll of legislative assembly, but do not appear in the draft electoral rolls published under sub-rule (3) of this rule.

- (ii) The Revising Authority shall maintain a register of claims in Form I-A and register of objections in Form I-B, entering therein the particulars of every claim or objection, as the case may be, as and when it is received.
- (iii) Any claim or objection under clause (i) which is not lodged within the prescribed period, or in the form, or, if lodged, by a person not entitled to lodge the same, shall be rejected.
- (iv) If any claim or objection is presented by a person to the Revising Authority which is not authorized to receive it, such Revising Authority shall at once return it to the person presenting it for presentation to the appropriate Revising Authority.
- (v) Where a claim or objection is not disposed of under clause (iii) or (iv) and the period prescribed for the presentation of claims and objections has expired, the Revising Authority shall forthwith post at his office a list of all claims and objections received together with notice showing the date on which and the place at which such claims and objections shall be heard. One copy of the objection shall be served upon the person regarding whom it is made.
- (vi) If on an application made to the Revising Authority in this behalf or on his own motion, he is satisfied that the draft electoral roll is at variance with the relevant part of the electoral roll of the Assembly on account of any mistake in the draft rolls, he shall amend the list so as to bring it in conformity with the said electoral roll and for that purpose he may amend, delete or add an entry in that roll.
- (vii) On the date and at the place fixed under clause (v), the Revising Authority shall hear and decide the claims and objections according to their merits after hearing the parties concerned or their authorized agents and, in the case of a claim any person who objects to the admission of such a claim and after considering such evidence as may be produced or may appear necessary to him, he shall-
 - (a) reject any claim or objection which does not comply with any of the provisions of these rules or pass such orders as he may deem fit;
 - (b) dismiss any case in which the claimant or objector is not present or is not represented.
- (viii) Any person aggrieved by any such order of the Revising Authority, may file appeal within three days from the date of order to the Deputy Commissioner, who shall within three days either confirm such order, or set it aside or pass such other order with respect to the claim or objection as he may deem fit.
- (ix) As soon as the Revising Authority has disposed of all the claims and objections presented before him, he shall forward a list of such claims and objections alongwith his orders thereon to the Deputy Commissioner who shall cause the ward wise roll to be corrected, in accordance with the orders passed by the Revising Authority or by him in appeal under clause (viii), as the case may be. The rolls so amended shall be final and two copies thereof duly signed by the Deputy Commissioner and Revising Authority shall be kept in their offices and shall be published in the manner prescribed under sub rule (3) together with list of additions and corrections prepared in accordance with the said orders. Any ward wise roll corrected and published under the provisions of clause (ix) shall come into force from the date of such publication."
- 4. In the said rules, rules 5 to 11 shall be omitted.
- 5. In the said rules, in rule 12,-
 - (i) in sub rule (3), for the word and figure "rules 4 to 11", the word, figure and sign "rule 4" shall be substituted;
 - (ii) in sub rule (4), for the word and figure "rules 7 to 11", the word, figure and sign "rule 4" shall be substituted; and
 - (iii) in sub rule (5), for the words and figure "rule 7" and "rule 11", the word, figure and bracket "rule 4 (3)" and "4 (4) (ix)" shall be substituted.
- 6. In the said rules, the rule 13 shall be omitted.
- 7. In the said rules, for existing rule 14, the following rule shall be substituted namely:-
 - "14. Inclusion, deletion and correction of names in the ward wise electoral roll finally published.- Any person whose name is not included in the ward wise electoral roll finally published may apply to the Deputy Commissioner for addition/deletion/correction of his name in the ward wise electoral roll:

Provided that the addition/deletion or correction of any name in the ward wise electoral roll of a Municipal Corporation shall only be made, if the name of claimant/applicant exists in the relevant part of

assembly electoral roll till the first day of filing nomination papers for the elections of Municipal Corporation.".

- 8. In the said rules, rule 15 and 16 shall be omitted.
- 9. In the said rules, in rule 17, in sub-rule(1),-
 - (i) in clause (c), for the word and figure "rule 9", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (i)" shall be substituted;
 - (ii) in clause (d), for the word and figure "rule 10" the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (vii) and (viii)" shall be substituted; and
 - (iii) clause (g) shall be omitted.

In the said rules, for the existing Forms A and B, the following forms shall be substituted, namely:-10.

"Form-A

	[See rule 4 (4)		
Application for inclusion of name	e, correction of any entry electoral ro	or transposing of name in a	nother ward in the
To The Revising Authority, Municipal Corporation Or Deputy Commissioner I request that my name be Corporation. My particulars in suppo are given below:	included, corrected or tra	isposed in the electoral roll for	SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX. the above Municipal in the electoral rolls
Applicant's details	Name	Surname (if a	ny)
*Father's Mother's Name Husband's	Name	Surname (if an	ny)
 That my name is mentioned at Assembly Constituency but has may now be included in the w That my name has been included Assembly Constituency and inc Corporation. 	s not been included in the rard No. Uded at Sr. No. Fluded my name in the elections	e electoral rolls of Municipal art No. of oral roll of Ward No.	I egiclative
That my name be entered in warEntry of my particular in that	rd No instead the electoral roll of Leg	of Ward No islative Assembly Constituently of Municipal Corporation has	ncy are mentioned
6. Declaration I hereby declare that the facts a belief.	and particulars mentioned	above are true to the best of	my knowledge and
Place : Date :		Signature or thumb impression Complete Address of the app	
		Mobile No	

Note.— Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

^{*}Strike out the inappropriate alternative

	Detail of action taken	
(To be filled by Revisin	g Authority of Municipal Corporation or th	e Deputy Commissioner as the case may be
	of Shri/Smt/Km	
any entry or transposing	of any name in another ward in the electoral ro	oll in Form-A has been accepted*/rejected*.
	for acceptance or rejection under or in pur	suance of rule 4 of the Haryana Municipa
Corporation Election Rul	les, 1994	
	<u> </u>	
Place:		
Date:		
Date.	Signature of Revising Authority	(Sool of the Devising Authority)
40. 1		(Seal of the Revising Authority)
*Strike out the inappropr	iate alternative	
Romark	s of Field Level Officer e.g. BLO, Designated	Officer Sunaniscom Officer
Kemurk	s of I teta Level Officer e.g. BLO, Designatea	Officer, Supervisory Officer
Received an application i	n Form A from Sh./Smt./Kumari	
Address		
	and entered at Sr. Noof the ent	ry register.
Date and time fixed for he	earing	
		Sign and Designation
	(Possint for office use)	
	(Receipt for office use)	
Obtained the information	about the date and time fixed for the hearing o	f claim/objection
the information	about the date and time fixed for the hearing o	r claim/objection.
Dated:	s is distance a fact to a construct size of the second size of the second size of the second size of the second	gnature and thumb impression of the applicant
S-1.		shatare and mamo impression of the appream
F	Receipt of application and information about	t the date of hearing
	(for applicant)	the date of hearing
	(ioi applicant)	
An application laresident of Municipal Cor	has been received in Form A from Sh./Smt./poration	Kumari who is
		<u> </u>
The hearing in the	applicant will be done by the Revising Author	rity at his office situated at or hearing alongwith necessary documents/
nformation.	The one is unceted to appear it	or hearing alongwith necessary documents/
	Signature o	of the officer receiving the application on
Date:	한 유가의 현대를 가지 않는데 하는 것이 하는 그를 잃었다. 그것은 그리는 학생의 날이 주먹다면 하는데 달다.	half of the Revising Authority

Form-B [See rule 4 (4) (i)]

Application for object	ting inclusion or seeking deletion of name in	electoral roll
To The Revising Authority Municipal Corporation Or Deputy Commissioner		SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX.
the above Municipal Corporation. Parti	nclusion of the name of the under mentioned culars in support of my objection are given be lating to my self/the person named below is	low:
Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's / Mother's Name/ Husband's	Name	Surname (if any)
the Municipal Corporation.	is mentioned at Sr. No of W but the area in which the said person is residing is included in Ward No	ng does not fall in the limit of
	d particulars mentioned above are true to the b	est of my knowledge and
Place : Date :	Signature or thumb impression of Complete Address of the application	
	Mobile No.	

Note.— Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

^{*} Strike out the inappropriate alternative

		Detail of action taken	
	(To be filled by Re	evising Authority of Mu	nicipal Corporation)
The application on name of Shri/Smt./Km	f Shri/Smt/Km	in the electoral ro	objecting to inclusion/ seeking deletion of oll in Form-B has been accepted/rejected.
	for acceptance or		ursuance of rule 4 of the Haryana Municipal
Place: Date:	Signature of	Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)
Remark Received an application Address	n Form B from Sh.	/Smt./Kumari	
and entered at Sr. No		of the entry register.	
Date and time fixed for h	earing		Sign and Designation
Obtained the information	about the date and	(Receipt for office use time fixed for the hearing	

Dated:

Signature and thumb impression of the applicant

Receipt of application and information about the date of hearing (for applicant)

at				be done at		Revising Authority at his office situated He/She is directed to appear for hearing
alongw	ith necessary	document	s/information.			Troone is directed to appear for hearing
Date:						e of the officer receiving the application on Behalf of the Revising Authority
				(Address_	

- In the said rules, the Form "C & D" shall be omitted. 12.

ANAND M. SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

55140—C.S.—H.G.P., Chd.



Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 87-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MAY 22, 2017 (VAISAKHA 31, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मई, 2017

- संख्या 4/2/2017—आर—ा.— हिरयाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) से (ङ) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा हिरयाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2/2017—आर—ा, दिनांक 14.03.2017 के प्रतिनिर्देश से हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—
- 1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "3. पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति— उपायुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी को वार्ड से सम्बन्धित मतदाता सूची के दावे और आपित्तियां सुनने के प्रयोजन के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा तथा वार्ड या वार्डों जिनके लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी रहेगा, विनिर्दिष्ट कर सकता है।"।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "4. वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करना :— (1) उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबन्धों के अधीन विधानसभा क्षेत्र या उसके भाग के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल निर्वाचक, जो नगर परिषद/नगर पालिका के किसी वार्ड के अधीन पड़ते हैं, किसी नाम में संशोधन, किसी नाम का विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन मतदाताओं को विभाजित करेगा।
 - (2) उपरोक्त उप-नियम (1) के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तिथि तक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन मतदाता सूची हिसाब में ली जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को इस प्रकार वार्ड वार विभाजित की गई मतदाता सूची नगर परिषद/नगर पालिका के उस वार्ड के लिए मतदाता सूची होगी, जो हिन्दी और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में तथा ऐसे रूप में जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश करे, तैयार की जाएगी।
 - (3) ज्योंही नगर परिषद / नगर पालिका की वार्ड वार मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो उपायुक्त, तिथि जिस समय तक वार्ड वार मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां या दावे विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत

किए जा सकते हैं, को सूचित करते हुए नोटिस सहित प्रारूप के रूप में प्रकाशित करवाएगा। नोटिस सहित नगर परिषद / नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड की वार्ड वार मतदाता सूचि की प्रति उपायुक्त के कार्यालय में, नगर परिषद / नगर पालिका के कार्यालय तथा ऐसे अन्य सहज—दृश्य स्थान (स्थानों) पर चिपकाएगा, जैसा उपायुक्त अवधारित करे:

परन्तु दावें या आपत्तियां दायर करने के लिए कम से कम पांच दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी।

(4) (i) निर्वाचकों को वार्ड वार विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक दावा तथा आपित्त निहित प्ररूप क तथा ख में पुनरीक्षण प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी या उसे रिजस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है:

परन्तु प्ररूप क में दावे उन आवदको द्वारा दायर किये जाएंगे जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने, अपनी प्रविष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम बदलवाने के इच्छुक हों। प्ररूप ख में आपित्तियां उन आवेदकों द्वारा दायर की जाएगी, जो मतदाता सूची में सिमिलित नामों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक हो:

परन्तु यह और कि केवल वे ही व्यक्ति नगर परिषद/नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिये अपना दावा दायर करेंगे, जिनके नाम विधानसभा की सम्बन्धित मतदाता सूची में हैं, किन्तु इस नियम के उप नियम 3 के अधीन प्रकाशित मतदाताओं की प्रारूप सूची में नहीं है।

- (ii) पुनरीक्षण प्राधिकारी प्ररूप–1क में दावों का रिजस्टर तथा प्ररूप–1ख में आपित्तियों का रिजस्टर बनाएगा और जब कभी प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा तथा आपित्त, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे उसमें दर्ज करेगा।
- (iii) कोई दावा या आपित्त जो खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या प्ररूप में दायर नहीं किया जाता है या यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है जो उसे दायर करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (iv) यदि कोई दावा या आपित्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है, जो उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा पुनरीक्षण प्राधिकारी तुरन्त उसी समय सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उसी व्यक्ति को वापिस लौटाएगा।
- (v) जहां किसी दावा या आपित्त का निपटान खण्ड (iii) या (iv) के अधीन नहीं किया जाता है तथा दावों और आपित्तयों को प्रस्तुत करने की विहित अविध समाप्त हो गई है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी, तिथि जिसके तथा स्थान जिस पर ऐसे दावे तथा आपित्तयों सुनी जायेंगी को दर्शात हुये नोटिस के साथ प्राप्त किए गए सभी दावों और आपित्तयों की सूची तुरन्त अपने कार्यालय में चस्पा करेगा। आपित्त की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जायेगी, जिसने यह की है।
- (vi) यदि इस निमित्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी को किए गये आवेदन पत्र पर या स्व—प्ररेणा पर, वह सन्तुष्ट हो जाता है, की प्रारूप मतदाता सूची, प्रारूप मतदाता सूची में किसी गलती के कारण, विधानसभा मतदाता सूची के सम्बन्धित भाग से भिन्न हैं, तो वह उसे उक्त मतदाता सूची के समरूप संशोधित करने के लिये उसमें सम्मिलित कोई संशोधन, विलोपन कर सकता है या उस मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकता हैं।
- (vii) खण्ड (v) के अधीन नियत तिथि और जगह पर पुनरीक्षण प्राधिकारी दावे तथा आपित्तयां सुनेगा और सम्बन्धित पक्षकारों या उसके प्राधिकृत एजैंटों को सुनने के बाद उनकी गुणता के अनुसार दावों और आपित्तयों का निर्णय करेगा तथा कोई व्यक्ति दावे की दशा में, जो ऐसे दावे को स्वीकार करने के लिए ऐतराज करता है और ऐसे साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाए या उसको आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के बाद वह
 - (क) कोई दावा या आपित्त, जो इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का पालन नहीं करती है, अस्वीकार करेगा या ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे ;

- (ख) कोई मामला जिसमें दावेदार या आपत्तिकर्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, खारिज करेगा।
- (viii) पुनरीक्षण प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति हो, आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर उपायुक्त को अपील दायर कर सकता है, जो तीन दिन के भीतर या तो ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या अपास्त करेगा या दावे या आपित्त के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- (ix) पुनरीक्षण प्राधिकारी ज्यों ही उसके सम्मुख प्रस्तुत किये गये सभी दावे तथा आपित्तयों का निपटान करता है, तो वह उन पर किये गये आदेशों सिहत, ऐसे दावों और आपित्तयों की सूची, उपायुक्त को भेजेगा, जो खण्ड (Viii) के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा या उस द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित आदेशों के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची ठीक करवाएगा। इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी तथा उसकी दो प्रतियां पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा उपायुक्त द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जायेगी और कथित आदेशों के अनुसार तैयार परिवर्धन तथा संशोधन की सूची सिहत उप—ितयम (3) के अधीन विहित रीति में प्रकाशित की जायेगी। खण्ड (ix) के अधीन सही की गई तथा प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची ऐसे अन्तिम प्रकाशन की तिथि से लागू होगीं।"।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 5 से 11 का लोप कर दिया जाएगा।
- 5. उक्त नियमों में, नियम 12 में ;-
 - (i) उप नियम (4) में, "नियम 4 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे :
 - (ii) उप नियम (5) में, "नियम 5 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और :
 - (iii) उप नियम (6) में, "नियम 7" और "नियम 11" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, क्रमशः "नियम 4(3)" और "नियम 4(4)(ix)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 6. उक्त नियमों में, नियम 13 का लोप कर दिया जाएगा ।
- 7. उक्त नियमों में, नियम-14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"14 अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में नामों का शामिल, विलोपन और सुघार :— कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नही है, तो वह वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने/विलोपन/संशोधन हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकता है:

परन्तु, नगर परिषद/नगर पालिका के मतदाताओं की वार्ड वार सूची में किसी नाम को जोड़ने/विलोपन या संशोधन तभी किया जाएगा, यदि दावेदार/आवेदक का नाम नगर परिषद/नगर पालिका के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधानसभा की निर्वाचक सूची के सम्बन्धित भाग में विद्यमान है।"

- 8. उक्त नियमों में, नियम 14(क) और 14 (ख) का लोप कर दिया जाएगा।
- 9. उक्त नियमों में, नियम 15 में, उप-नियम (1) में,-
 - (i) खण्ड (1)(ग) में, "नियम 9" शब्द तथा अंक के स्थान पर, "नियम 4(4)(i)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (ii) खण्ड (घ) में, "नियम 10" शब्द तथा अंक के स्थान पर, "नियम 4(4)(Vii) तथा (Viii)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (iii) खण्ड (ज) का लोप कर दिया जाएगा ।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप क और ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"प्ररूप–क

(देखिए नियम 4 (4)(i))

मतदाता सची में नाम शामिल करने/वि	oसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या f	केसी दूसरे वार्डों में नाम रखने के लिए आवेदन		
सेवा में पुनरीक्षण प्राधिकारी, नगर परिषद् / नगर पालिका या उपायुक्त, महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त न	वार्ड संख्या गर परिषद् / नगर पालिका के लिए गए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाए के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुर्ग	हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, विपकाने के लिए स्थान मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया ए।		
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)		
पिता / माता / पित का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)		
1. िक मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र				
6. घोषणाः में टक्के टाग घोषणा करता है कि कप	र उल्लेखित तथ्य और विवरण मेरे	सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।		
म इसक द्वारा घाषणा करता हू कि जप स्थानः दिनांकः	दावेदार व आवेदन 	के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान का पूरा पता		

टिप्पण	:	कोई	व्यक्ति	जो	ऐसा	कथन	या	घोषण	करता	है	जो	मिथ्या	台	और	जिसके	मिथ्या	होने	का	या '	तो र	उसे	ज्ञान	या
विश्वास	\$	या जि	ासके स	त्य	होने व	ना उसे	वि	श्वास	नहीं है	तो	वह	हरिया	णा	नगर	पालिका	अधिनि	ायम,	1973	3 (1	973	का	24)	की
धारा 13	ग द	ने अध	ोन दंड	नीय	होगा	1																	

धारा १३ग क अधान दंडनाय होगा।		
*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।	42 () 2 2 0	
	की गई कार्रवाई के ब्यौरे	And -> and *\
	ा के पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी	
की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्य कर दिया गया है।	के मतदाता सूची में नाम त्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को करने (हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम,	*स्वीकार कर लिया गया है/ *नामंजूर
स्थानः		
तारीखः		
	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)
सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा स	Т	हस्ताक्षर तथा पदनाम
	(कार्यालय के लिए पावती)	
दावे तथा आपित्त्यि की तिथि त	नथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।	
दिनाक:	दावेदार र	के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धि (प्रार्थी के लिये)	
श्री/श्रीमती/कुमारी का निवासी है, से प्ररूप	, जो नगर परिषद/। क में आवेदन पाप्त हुआ।	पालिका
आवेदन व	में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान कोको विपरिश्वत होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।	में स्थित अपने बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये
दिनाकः—	प्राप्त कर	प्राधिकारी की ओर से आवेदन ने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
	고양한 16일)

प्ररूप-ख

[देखिए नियम 4 (4)(i)]

मतदाता सूची में नाम की	प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये	जाने हेतु आवेदन
सेवा में पुनरीक्षण प्राधिकारी, नगर परिषद्/नगर पालिका या उपायुक्त महोदय, /मैं उपर्युक्त नगर परिषद्/नगर पालिका के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप	वार्ड संख्या के लिए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :	हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान
/मैं निवेदन करता हूँ कि *मुझसे/*नीच अपेक्षित है:	नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे	उल्लिखित कारणों से हटाया जाना
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता / माता / पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
के वार्ड नं0लिकन यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति विकन यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति 2. कि श्री/श्रीमति/कुमारी	का नाम नगर परिषद की क्रम संख्या रहता है वह नगर परिषद् / नगर पालिका की का नाम वार्ड नंo में शामिल किया जाए।	पर अंकित है, हद में नहीं है।
3. घोषणाः मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर ख	लिलखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान	और विश्वास के अनुसार सही है।
स्थानः दिनांकः	दावेदार के हस्ताक्षर या आवेदन का पूरा पता	
	मोबाईल नं0	

टिप्पण:— कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

^{*}अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

		learn at/The rest is after the excession and a fell continued to
	की गई कार्रवाई के ब्यौ	रे
(नगर	परिषद् / नगर पालिका के पुनरीक्षण प्राधि	वेकारी द्वारा भरा जाना है)
श्री / श्रीमती / कुमारी कुमारी के गया है / 'नामंजूर कर दिया गया	त्वाम को 'सम्मिलित किए जाने पर/'हट है । करने {हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नि	ा प्ररूप ख में मतदाता सूची में श्री/श्रीमती/ ए जाने हेतु दिया गया आवेदन 'स्वीकार कर लिया यम, 1978 (1973 का 24) के नियम 4 के अधीन या
TOUT		
स्थानः तारीखः		
WING.	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन वं	े पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दे	रान
*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।		
	न केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधि	वेकारी पर्यवेक्षी अधिकारी की टिपाणी
प्ररूप ख में श्री / श्रीमती / व	हमारी	गता
. में प्रविष्टि किया गया है।	स आवदन प्राप्त किया आर इन्द्राज । समय	राजस्टर का क्रम संख्या
		हस्ताक्षर तथा पदनाम
	(कार्यालय के लिए पावती	
दावे व आपित्त्यों की तिथि	ा तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है	
~ .		
दिनांक :		दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
પ્રાથન	ग पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि	से सम्बन्धित सूचना
	(प्रार्थी के लिये)	
श्री / श्रीमती / कुमारी का निवासी	है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ।	गर परिषद् / नगर पालिका
आवेदन में सुनवाई प	नरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान	में स्थित आने कार्याच्या में
देनांक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थि	कोब थत होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।	में स्थित अपने कार्यालय में जे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक
देनाकः–		पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
		(पता
)
1. उक्त नियमों में, प्ररूप 1क त नेयम 4 (4)(ii))]" शब्द, अंक तथा	नथा 1ख में, "[देखिए नियम 9 (5)]" व	कोष्ठकों, शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "[देखिए
	। घ का लोप कर दिया जाएगा।	

आनन्द एम० शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 22nd May, 2017

No. 4/2/2017-R-II.— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of Sub-section (1) of Section 257 and section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification No. 4/2/2017-R-II, dated 14th March, 2017, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Election Rules, 1978, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2017.
- 2. In the Haryana Municipal Election Rules, 1978 (hereinafter called the said rules), for existing rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "3. Appointment of Revising Authorities.- The Deputy Commissioner shall appoint any Gazetted Officer to be a Revising Authority for the purpose of hearing claims and objections relating to ward wise electoral roll and may specify the ward or wards for which he shall be the Revising Authority."
- 3. In the said rules, for existing rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "4. Preparation of ward wise roll.- (1) The Deputy Commissioner under the superintendence, direction and control of the State Election Commission, shall cause to distribute the electors of Legislative Assembly constituency or a part thereof of the existing electoral roll prepared by Election Commission of India under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (Central Act 43 of 1950), for the time being in force, which falls in the relevant ward of the Municipal Council/Committee, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name by the Election Commission of India.
 - (2) The electoral roll updated by the Election Commission of India up to the date of notification issued by the State Election Commission for the preparation of ward wise roll as per sub rule (1) above, shall be taken into account. The electors of Legislative Assembly constituency, so distributed ward wise shall be the electoral roll for that ward of the Municipal Council/Committee which shall be prepared in Hindi and in such other language or languages and in such form, as the State Election Commission may direct.
 - (3) As soon as the ward wise roll of a Municipal Council/Committee is ready, the Deputy Commissioner shall publish it as draft together with a notice intimating the date by which objections or claims with regard to the ward wise roll may be presented to the Revising Authority specified therein. A copy of the ward wise roll of each ward of Municipal Council/Committee alongwith the notice shall be pasted at the office of the Deputy Commissioner, at the office of the Municipal Council/Committee and at such other conspicuous place(s) as the Deputy Commissioner may determine:

Provided that a period of not less than five days shall be allowed for filing claims and objections.

(4) (i) Every claim and objection regarding distribution of electors ward wise shall be addressed and presented to the Revising Authority in the prescribed Form A and B or may be sent by registered post to him.

Provided that claims in Form-A shall be filed by those applicants, who intend to include their name, make correction in their entry or transposing of their name in another ward in the

electoral roll. Objections in Form-B shall be filed by those applicants who intend to object inclusion of name or seek deletion of a name from the electoral roll.

Provided further that only those persons shall file their claim for inclusion of their name in the electoral roll of Municipal Council/Committee, whose name appear in the respective electoral roll of legislative assembly, but do not appear in the draft electoral rolls published under sub-rule (3) of this rule.

- (ii) The Revising Authority shall maintain a register of claims in Form 1-A and register of objections in Form 1-B, entering therein the particulars of every claim or objection, as the case may be, as and when it is received.
- (iii) Any claim or objection under clause (i) which is not lodged within the prescribed period, or in the form, or, if lodged, by a person not entitled to lodge the same, shall be rejected.
- (iv) If any claim or objection is presented by a person to the Revising Authority which is not authorized to receive it, such Revising Authority shall at once return it to the person presenting it for presentation to the appropriate Revising Authority.
- (v) Where a claim or objection is not disposed of under clauses (iii) or (iv) and the period prescribed for the presentation of claims and objections, has expired, the Revising Authority shall forthwith post at his office a list of all claims and objections received together with notice showing the date on which and the place at which such claims and objections shall be heard. One copy of the objection shall be served upon the person regarding whom it is made.
- (vi) If on an application made to the Revising Authority in this behalf or on his own motion, he is satisfied that the draft electoral roll is at variance with the relevant part of the electoral roll of the Assembly on account of any mistake in the draft rolls, he shall amend the list so as to bring it in conformity with the said electoral roll and for that purpose he may amend, delete or add an entry in that roll.
- (vii) On the date and at the place fixed under sub clause (v), the Revising Authority shall hear and decide the claims and objections according to their merits after hearing the parties concerned or their authorized agents and, in the case of a claim any person who objects to the admission of such a claim and after considering such evidence as may be produced or may appear necessary to him, he shall-
 - (a) reject any claim or objection which does not comply with any of the provisions of these rules or pass such orders, as he may deem fit;
 - (b) dismiss any case in which the claimant or objector is not present or is not represented.
- (viii) Any person aggrieved by any such order of the Revising Authority, may file appeal within three days from the date of order to the Deputy Commissioner, who shall within three days either confirm such order, or set it aside or pass such other order with respect to the claim or objection as he may deem fit.
- (ix) As soon as the Revising Authority has disposed of all the claims and objections presented before him, he shall forward a list of such claims and objections alongwith his orders thereon to the Deputy Commissioner who shall cause the ward wise roll to be corrected, in accordance with the orders passed by the Revising Authority or by him in appeal under clause (viii) of sub rule (4), as the case may be. The rolls so amended shall be final and two copies thereof duly signed by

the Deputy Commissioner and Revising Authority shall be kept in their offices and shall be published in the manner prescribed under sub rule (3) together with list of additions and corrections prepared in accordance with the said orders. Any ward wise roll corrected and published under the provisions of clause (ix) shall come into force from the date of such publication."

- 4. In the said rules, rules 5 to 11 shall be omitted.
- 5. In the said rules, in rule 12;--
 - (i) in sub-rule (4), for the words and figures "rules 4 to 11", the word and figure "rule 4" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (5), for the words and figures "rules 5 to 11", the word and figure "rule 4" shall be substituted; and
 - (iii) in sub-rule (6), for the words and figures "rule 7" and "rule 11", the words, figures and bracket "rule 4 (3)" and "rule 4 (4) (ix)" shall be substituted.
- 6. In the said rules, the existing rule 13 shall be omitted.
- 7. In the said rules, for existing rule 14, the following rule shall be substituted namely:-

"14. Inclusion, deletion and correction of names in the ward wise electoral roll finally published.- Any person whose name is not included in the ward wise electoral roll finally published may apply to the Deputy Commissioner for addition/deletion/ correction of his name in the ward wise electoral roll.

Provided that the addition/deletion or correction of any name in the ward wise electoral roll of a Municipal Council/Committee shall only be made, if the name of claimant/applicant exists in the relevant part of assembly electoral roll till the first day of filing nomination papers for the elections of Municipal Council/Committee."

- 8. In the said rules, rule 14 A and 14 B shall be omitted.
- 9. In the said rules, in rule 15, in sub-rule (1),-
 - (i) in clause (c), for the word and figure "rule 9", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (i)" shall be substituted;
 - (ii) in clause (d), for word and figure "rule 10", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (vii) and (viii)" shall be substituted; and
 - (iii) clause (h) shall be omitted.

10. In the said rules, for the existing Forms A and B, the following forms shall be substituted, namely:

"Form-A

[See rule 4]

Application for inclusion of	name, correction of any entry electoral rol	or transposing of name in a	another ward in the			
or Deputy Commissioner	mmitteeWard No		SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING			
I request that my name be in Council/Committee. My partic electoral rolls are given below:	cluded, corrected or transpos culars in support of my claim	ed in the electoral roll for for Inclusion, correction	the above Municipal or transposing in the			
Applicant's details	Name	Surname (if	Surname (if any)			
			and a state of the			
*Father's	Name	Surname (if	Surname (if any)			
Mother's Name Husband's						
That my name has been inched Assembly Constituency and in Council/Committee. That the entry in electoral roleground that Entry of my particular in but in the as	l rard No instead of	be corrected as ward No ative Assembly Constituence al Council/Committee ha	on the			
6. Declaration	and request to correct a					
I hereby declare that the facts an	d particulars mentioned above a	are true to the best of my know	wledge and belief.			
Place : Date :	Complete Address o	Signature or thumb imp				
ing masa dalah dibin di kacama Kacamatan ka	urise est a substitución de la companya de la comp Descripción de la companya de la co	Mobile No.				

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 13C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

^{*}Strike out the inappropriate alternative

	Detail of act	tion taken
(To be filled by Re-	vising Authority of Municipal Council/C be	Committee or the Deputy Commissioner as the case m
The application any entry or transpos	on of Shri/Smt./Km sing of any name in another ward in the el	for inclusion of name/correction of ectoral roll in Form-A has been accepted*/rejected*.
		n pursuance of rule 4 of the Haryana Municipal Election
Place:		
Date.	Signature of Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)
Received an applicat Address	Field Level Officer e.g. Booth Level Officer in Form A from Sh./Smt./Kumari	-
	and entered at sr. r	10of the entry register.
	(Receipt for of	Sign and Designation
Obtained the informa	ation about the date and time fixed for the	
Dated:		Signature and thumb impression of the applicant
	Receipt of application and information (for application)	그렇게 하나요요요. 그러움 나를 하면 되었다. 그렇게 되는 사람들이 되었다.
An applicatio resident of Municipal	n has been received in Form A from I Council/Committee	Sh./Smt./Kumari who is
at		the Revising Authority at his office situated He/She is directed to appear for hearing
alongwith necessary (locuments/information.	
Date:		Signature of the officer receiving the application on behalf of the Revising Authority

Form-B

[See rule 4]

To	objecting inclusion or seeking deletion	of name in electoral roll
The Revising Authorit Municipal Council/Con Or Deputy Commissioner Sir,	mmitteeWard No,	SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN
above Municipal Council/Comm	d inclusion of the name of the under men ittee. Particulars in support of my objection elating to myself/the person named below	on are given below:
Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's/ Mother's Name/	Name	Surname (if any)
Husband's		
Carry Carl Spring Congress on a particular control of the control		mstead of ware
3. Declaration I hereby declare that the facts and Place:	particulars mentioned above are true to the	Mon
3. Declaration I hereby declare that the facts and Place:	particulars mentioned above are true to the	ne best of my knowledge and belief.
3. Declaration	particulars mentioned above are true to the Signat Complete Address of the application	rure or thumb impression of the claimant
3. Declaration I hereby declare that the facts and Place: Date: Note: Any person who makes a c false or does not believe to be 1973).	Signat Complete Address of the application Mobile N statement or declaration which is false attrue, is punishable under section 13C of	ne best of my knowledge and belief. Ture or thumb impression of the claimant ant No. and which he either knows or believes t
3. Declaration I hereby declare that the facts and Place: Date: Note: Any person who makes a false or does not believe to be to	Signat Complete Address of the application Mobile N statement or declaration which is false attrue, is punishable under section 13C of	ne best of my knowledge and belief. Ture or thumb impression of the claimant ant No. and which he either knows or believes t
3. Declaration I hereby declare that the facts and Place: Date: Note: Any person who makes a false or does not believe to be 1973). Strike out the inappropriate altern	Signat Complete Address of the applica Mobile N statement or declaration which is false a true, is punishable under section 13C of	ne best of my knowledge and belief. The pure or thumb impression of the claimant ant
3. Declaration I hereby declare that the facts and Place: Date: Note: Any person who makes a false or does not believe to be 1973). Strike out the inappropriate altern	Signat Complete Address of the application Mobile Notes a statement or declaration which is false a strue, is punishable under section 13C of mative Detail of action taken d by Revising Authority of Municipal Cout./Km	ne best of my knowledge and belief. The pure or thumb impression of the claimant ant

Place: Date:	Signature of Revising Author	ority (Seal	of the Revising Authority)
During continuous upda	ting after final publication of ele		
*Strike out the inapprop			
Remark	s of Field Level Officer e.g. BL	O, Designated Office	er, Supervisory Officer
Received an application	in Form B from Sh./Smt./Kuman	ri	
	and entered		f the entry register.
Date and time fixed for h			
	3		Sign and Designat
	(Receint	for office use)	Digit and Dobiginat
Obtained the information	about the date and time fixed for		/abjection
Solamed the information	rabout the date and time fixed for	of the hearing of claim	/objection.
Dated:	Cinnidan and	411.	Lament Property
		thumb impression of t	
	Receipt of application and info		ate of hearing
		pplicant)	
An application h esident of Municipal Co	as been received in Form B :	from Sh./Smt./Kumar	i who
The hearing in	the applicant will be don	ne by the Revising	Authority at his office situat
nt alongwith necessary docu	on at	He/She	is directed to appear for heari
nong with necessary doct	uments/imormation.		시골으로 걸린 시크로바닷컴복과 스
Onto		C' (C.1	om a series
Date:			officer receiving the application on
		behalf of the Rev	뭐요. 아픈데 내용하면서 이 시간 그리지 않는데 없는 것 같다.
		(Address	

11. In the said rules, in Forms 1-A and 1-B, for the words, figures and signs "[see rules 9(5)]", the words, figures and signs "[see rule 4(4) (ii)]" shall be substituted.

12. In the said rules, the Form "C and Form D" shall be omitted.

ANAND M. SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Deapartment.